भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

<u>लोक सभा</u>

<u>अतारांकित प्रश्न सं. 1185</u>

(जिसका उत्तर सोमवार, 25 नवम्बर, 2019/4 अग्रहायण, 1941 (शक) को दिया जाना है)

कर छूट

1185. सुश्री नुसरत जहां रूही:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कॉर्पोरेट कर में कटौती करने के कारण सालाना कुल कितने राजस्व का नुकसान होगा;

(ख) सरकार कॉर्पोरेट कर में कटौती से प्रत्यक्ष कर संग्रह के पहले से मौजूद अंतर को किस प्रकार पाटने की योजना बना रही है;

(ग) क्या कर रियायतों से मेक इन इंडिया में निवेश आएगा, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे अधिक राजस्व प्राप्त होगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह किस प्रकार होगा?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) वित्त वर्ष 2019-20 के लिए कार्पोरेट कर दरों में कमी के फलस्वरूप 1,45,000/- करोड़ रूपए की राजस्व क्षति होने का अनुमान है।

(ख) कार्पोरेट कर कटौतियों द्वारा प्रदान किए गए प्रोत्साहनों का अर्थव्यवस्था में तीव्रकारी प्रभाव होने का अनुमान है। भारत में नए निवेश से न केवल नई नौकरियां सृजित होने का अनुमान है परन्तु इससे आय में भी बढ़ोत्तरी होगी और फलस्वरूप मध्यम से दीर्घ काल में कर संग्रहण में वृद्धि होगी। राजस्व संग्रहण में तेजी लाने के लिए कर जाल का विस्तार करने और इसे व्यापक बनाने के लिए विभिन्न उपाय भी किए जा रहे हैं।

(ग) तथा **(घ)** कम किए गए कार्पोरेट कर दरों से नए निवेश को आकृष्ट करने, नौकरियां सृजित होने तथा समग्र आर्थिक विकास में वृद्धि होने का अनुमान है। निवेश को आकृष्ट करने के लिए नीतिगत उपायों की घोषणा तथा होने वाले वास्तविक निवेश के बीच हमेशा समय अन्तराल है।

****